कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय—आदेश ::—

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक : राजकाज नं. 21678910, 21675706, 21675671, 21675755 एवं 21675776 दिनांक : 18.04.2026 द्वारा राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम—2021 के नियम 31 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक : 13.04.2026 के द्वारा वर्ष 2023—24, 2024—25 एवं 2025—26 की रिक्तियों के विरूद्ध प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) विभिन्न विषय के पद पर 11776 कार्मिकों के, वर्ष 2025—26 की रिक्तियों के विरूद्ध प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा पद पर 29 कार्मिकों के, वर्ष 2023—24 व 2024—25 की रिक्तियों के विरूद्ध कोच पद पर 07 कार्मिकों के, वर्ष 2025—26 की रिक्तियों के विरूद्ध प्राध्यापक विशेष शिक्षा पद पर 105 कार्मिकों के एवं वर्ष 2025—26 की रिक्तियों के विरूद्ध पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड—I पद पर 19 कार्मिकों के चयन आदेश जारी किये गये है।

उक्त समस्त प्राध्यापक एवं समकक्ष पदों पर चयनोपरान्त कार्यग्रहण उक्त संबंधित पद हेतु जारी चयन आदेश दिनांक : 18.04.2026 में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा। चयन आदेश दिनांक : 18.04.2026 द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित कार्मिक अपने पदोन्नति उपरान्त पदस्थापन हेतु पृथक से आदेश जारी होने तक, उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र हैं। **सभी पदोन्नत कार्मिक अपने वर्तमान पद पर अस्थाई रूप से दिनांक : 23.04.2026 तक कार्यग्रहण कर पदस्थापन संबंधी अग्रिम आदेश प्रसारित होने तक यथावत कार्यरत रहेगें** एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट अविलम्ब इस विभाग की ई—मेल आईडी **dpcpostingsocsection@gmail.com** पर प्रेषित करेगें। उक्त ई—मेल आईडी के अलावा अन्य ई—मेल आईडी पर प्रेषित सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा। पदोन्नति का वास्तविक नगद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से ही देय होगा। पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किए जाएगें।

उक्त चयनित अभ्यर्थियों में से ऐसे कार्मिक जिनके 01.06.2002 को या उसके पश्चात संतानोत्पत्ति से संतानो की संख्या दो से अधिक होने के कारण प्रथम बार पदोन्नति देय हो रही है, उसका वेतन कार्मिक (क—2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक : एफ 7 (1) कार्मिक/क—2/95 पार्ट दिनांक : 16.03.2023 में प्रदत्त निर्देशानुसार नियत किया जायेगा। उक्त चयन कार्मिक विभाग की संतान संबंधी अधिसूचना दिनांक : 16.03.2023 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर डी.बी.सि. याचिका संख्या 13218/2024 व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

संबंधित समस्त कार्मिकों द्वारा दिनांक : 23.04.2026 तक पदोन्नति पर कार्यग्रहण किया जाना अथवा अन्यथा स्थिति में अंतिम दिनांक से एक दिवस पूर्व पदोन्नति परित्याग का प्रार्थना पत्र संबंधित संस्था प्रधान के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

संलग्न :— संदर्भित चयन आदेश दिनांक 18.04.2026

(सीताराम जाट)
I.A.S.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी—5/प्राध्यापक/डीपीसी/काउंसलिंग/2025/ई—47299 दिनांक :— यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि :—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा (विद्यालयी/संस्कृत) विभाग एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप—2) विभाग राजस्थान, जयपुर।

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.20 1?:17:30 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21705416
M e-Sign

4. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा/संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)– मा.शिक्षा/प्रा.शि./अतिरिक्त जिला परियोजना निदेशक/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य, डाईट।
5. स्टाफ ऑफिसर, निजी निदेशक अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा, को उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग/डीपीसी/वरिष्ठता–नियम अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. अनुभाग अधिकारी, विभागीय जांच/प्राथमिक जांच/संस्थापन सी–1, सी–2, सी–3 व सी–4 अनुभाग कार्यालय हाजा।
10. प्रभाग प्रभारी कोर्ट केस संस्थापन सी अनुभाग कार्यालय हाजा।
11. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता हैं कि :–
    - जिन चयनित कार्मिको द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण नही किया गया है, ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति परित्याग का प्रार्थना पत्र प्राप्त कर, दिनांक : 22.04.2026 तक कार्यालय की ई–मेल आई.डी. dpcpostingsocsection@gmail.com पर प्रेषित करावें।
    - जिन चयनित कार्मिकों द्वारा निर्धारित समयावधि में यथावत कार्यग्रहण नहीं किया गया एवं पदोन्नति परित्याग का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, के संबंध में संस्था प्रधान द्वारा उक्त कार्मिक का पदोन्नति परित्याग मान लिए जाने बाबत प्रस्ताव इस कार्यालय की ई–मेल आई.डी. dpcpostingsocsection@gmail.com पर प्रेषित करावें।
    - लम्बे समय से अनुपस्थित/निलंबित कार्मिक को पदोन्नति पर कार्यग्रहण नहीं कराते हुए, इसकी सूचना कार्यालय की ई–मेल आई.डी. dpcpostingsocsection@gmail.com पर अवगत करावें।
    - जिन कार्मिको के विरूद्ध सीसीए 16/17 के तहत विभागीय जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं, उनके संबंध में विभागीय नियमानुसार समुचित परीक्षण करें। विभागीय नियमानुसार यदि जारी ज्ञापन/आरोप पत्र की दिनांक कार्मिक के चयन दिनांक के पश्चात का है, तो यह नियमानुसार कार्मिक के चयन को प्रभावित नही करता हैं। यदि कार्मिक को जारी ज्ञापन/आरोप पत्र की दिनांक कार्मिक की चयन तिथि में पूर्व की है, तो ऐसी स्थिति में कार्मिक को कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये तथा तत्पश्चात उक्त सूचना इस कार्यालय की ई–मेल आई.डी. dpcpostingsocsection@gmail.com पर भिजवाई जायें। उक्त तथ्यों की जांच के आधार पर ही कार्यग्रहण की सुनिश्चिता की जावें। इस प्रकार के प्रकरणों में मार्गदर्शन हेतु अनावश्यक पत्र व्यवहार नहीं किया जावें।
    - समस्त चयनित कार्मिकों को पाबंद किया जाता हैं कि वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ऑफलाईन ही कार्यग्रहण करें, किसी भी स्थिति में शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नही किया जावें, साथ ही अनिवार्यतः विभागीय शाला दर्पण पोर्टल पर न्यू टैब में ऑफ लाईन कार्यग्रहण का इन्द्राज भी करावें। उक्त न्यू टैब में अंतिम **दिनांक : 28.04.2026** तक इन्द्राज नहीं होने पर संबंधित संस्था प्रधान का दायित्व निर्धारित किया जावेगा।
    - शाला दर्पण न्यू टैब में ऑफ लाईन कार्यग्रहण की प्रविष्टि को ही भविष्य में होने वाली ऑन लाईन काउसलिंग हेतु आधार माना जाएगा। अतः यदि कोई कार्मिक पदोन्नति परित्याग करना चाहता है, तो उक्त न्यू टैब में ही पदोन्नति परित्याग के प्रार्थना पत्र के आधार पर, संस्था प्रधान के माध्यम से इन्द्राज सुनिश्चित किया जाए तथा उक्त पदोन्नति परित्याग से संबंधित स्पष्ट प्रार्थना पत्र विभागीय ई–मेल आई.डी. dpcpostingsocsection@gmail.com पर उसी दिवस को ही प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।
    - उक्त पदोन्नति पर एक बार यथावत कार्यग्रहण कर लिए जाने उपरान्त वर्तमान उपलब्ध नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति परित्याग/पदावनत किया जाना संभव नही होगा तथा ऑनलाईन काउसलिंग उपरान्त पदस्थापन किए जाने पर कार्मिक को अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.20 1?:17:30 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21705416
M e-Sign

शाला दर्पण पोर्टल पर स्कूल लॉगिन करे।
शिक्षक– स्कूल स्टाफ डीपीसी विवरण पर क्लिक करे।

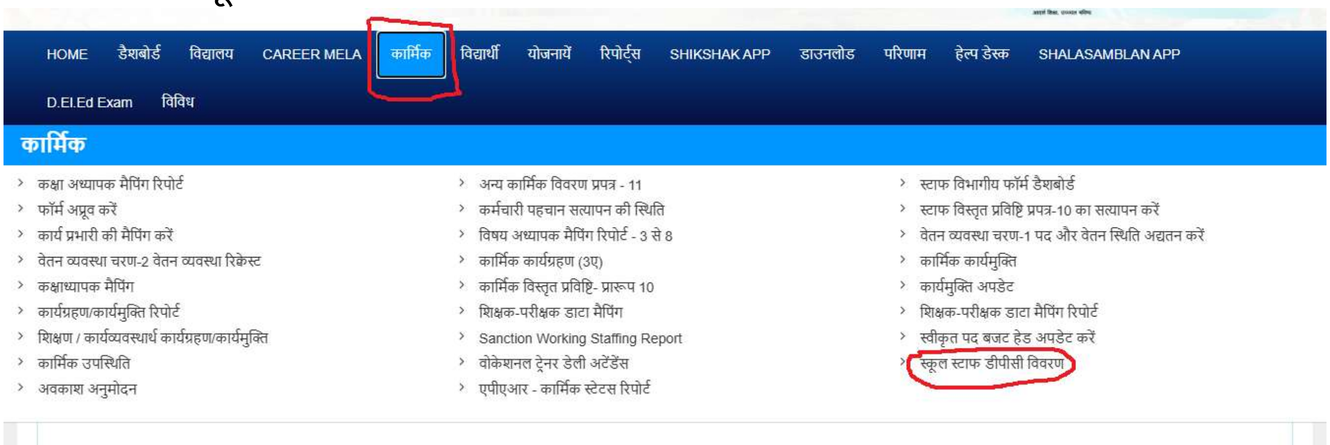

विद्यालय में कुल कितने शिक्षक पदोन्नत हुए है उनकी संख्या इन्द्राज करें।

पदोन्नत सभी शिक्षकों को सर्च कर आगे दिए गए विवरणानुसार **फारगो अथवा कार्यग्रहण** अनुसार सूचना दर्ज करे। सभी पदोन्नत शिक्षकों की सूचना दर्ज करने उपरान्त ही लॉक करे।